राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या –1331, 1332, 1333, 1334 व 1335/2017.....जिला....बांसवाड़ा

उनवान – मैसर्स अर्चना बैंगल्स,इण्ड0एरिया, बासवाड़ा बनाम् (1) अपीलीय प्राधिकारी,वा.क.उदयपुर
(2)वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,बांसवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	तारीख अहकाम जो इस हु तामील में जारी हुए
12/10/2017	**खण्डपीठ** **श्री राजीव चौधरी,सदस्य** **श्री नत्थूराम, सदस्य**	

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक अजमेरा व विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।

अपीलार्थी द्वारा ये पॉचो अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 27.07.2017, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा)द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 10.02.2017 को अपीलार्थी के वर्ष 2011–12 से 2015–16 का कर निर्धारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 के तहत् पारित करते हुए कर,, शास्ति व ब्याँज के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने सशक्त अधिकारी द्वारा सृजित मांग कर, शास्ति व ब्याज में से शास्ति को अपास्त कर, कर व ब्याज को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज को विवादित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

अपील सं.	कर निर्धारण वर्ष	कर	शास्ति	ब्याज	चाहा गया स्थगन
1331/17	2011–12	213048	426096	136351	324399
1332/17	2012–13	210229	420458	109319	294548
1333/17	2013–14	166649	333298	66660	213309
1334/17	2014–15	195280	390560	54678	227958
1335/17	2015–16	141013	282026	22562	147575

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अजमेरा ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा चूडियों का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमाण पत्र जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किया हुआ है तथा फर्म का नाम भी अर्चना "बैंगल्स" है। अपीलार्थी द्वारा उत्पादित बिक्रीत उत्पाद चूडी की श्रेणी में हो जिस पर कोई कर देय नहीं है क्योंकि यह उत्पाद शेड्यूल–I के अनुसार Exempted Goods की श्रेणी में हैं जिसे शेड्यूल IV-B की ऐन्ट्री संख्या–235 में मानकर करारोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। सशक्त अधिकारी ने कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है जो उचित नहीं है। उनका निवेदन था कि विवादित राशि में से कर व ब्याज के

संबंध में प्रकरण एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

विभागीय प्रतिनिधि ने सशक्त अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानो के अनुसार कर एवं ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है जो पूर्णतया उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने भी सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित मांग में से शास्ति को अपास्त करते हुए कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया है इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जावे।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी का अपील में मुख्य आधार यह है कि उसके द्वारा विनिर्मित उत्पाद चूडी (बैंगल) अधिनियम के शेडयूल–I की ऐन्ट्री संख्या 20 के अनुसार Exempted Goods की श्रेणी में है जबकि सशक्त अधिकारी ने इसे अनुसूची IV–B की ऐन्ट्री संख्या – 235 में मानकर करारोपण किया है जिसे अपीलीय अधिकारी यथावत रखा है जो विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा विनिर्मित उत्पाद को चूडी की श्रेणी में माना जाबे या एल्यूमिनियम से निर्मित मेटल रिंग की श्रेणी में, यह बिन्दु परीक्षण योग्य होने के कारण प्रथम दृष्ट्या मामला अपीलार्थी के पक्ष में बनता है। विवादित बिन्दु के सम्बन्ध में कर आदि वसूली की कार्यवाही करने से अधिक असुविधा अपीलार्थी को होगी जिससे सुविधा का संतुलन भी अपीलार्थी के पक्ष में बनता है। प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में बनने से महत्त्वपूर्ण क्षति का मामला भी अपीलार्थी के पक्ष में माना जायेगा। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण अपीलों में कर व ब्याज की वसूली कार्यवाही को इस शर्त पर स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी आरोपित वसूल योग्य राशि के सम्बन्ध में सशक्त अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप पर्याप्त जमानत पेश करेंगे। उक्त आदेश की पालना के अभाव में स्थगन आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। मिसल वास्ते बहस दिनांक 21.12.2017 को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो।

(नत्थूराम)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य